न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–235 / 2020 (जीसीएमएस नं. 2020 / 00015)

1. महेश कुमार आयु 30 वर्ष पुत्र धर्मवीर जाति जाट, निवासी घोड़ीवारा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेश खेदड़ एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 15.03.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने दुकाने ग्राम पंचायत माण्डासी से किराये पर ले रखी है ग्राम पंचायत माण्डासी ने ही दुकानें जोहड़े की भूमि में बनायी है। अपीलान्ट ने दुकाने नही बनायी है तथा अपीलान्ट ग्राम पंचायत माण्डासी के सचिव को दुकान का किराया अदा करता आ रहा है जिसकी रसीदें अपीलान्ट के पास है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट ने राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया है। जब से ग्राम पंचायत ने दुकानें बनाई है तब से ही अपीलान्ट के किराये पर चली आ रही है व दुकान में चाय–पानी, ढाबा होटल कर रखी तथा एस.टी.डी., पी.सी.ओ. भी लगा रखा है जो ग्राम पंचायत की अनुमति से लगा रखा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को दस्तावेज व शहादत प्रस्तुत करने का अवसर भी नही दिया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलान्ट का कब्जा ईजाजतन है। उन्होने आगे कथन किया है कि गैर मुमकीन जोहड़ अथवा ग्राम पंचायत की सरहद में स्थित सरकारी भूमि की कस्टोडियन ग्राम पंचायत की होती है तथा ग्राम पंचायत की इजाजत से ही अपीलान्ट का कब्जा है और कानूनन से ईजाजतन कब्जे को अतिक्रमण नही कहा जा सकता तथा अपीलान्ट को कब्जा अनाधिकृत कब्जे की श्रेणी में नही आता। इस कारण अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू का

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2012 व तहसीलदार नवलगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2011 खारिज करके अपील को इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जावें कि अपीलान्ट के पक्ष में ग्राम पंचायत माण्डासी द्वारा किराये की रसीदों को जबाव के साथ लेकर सुनवाई कर उचित निर्णय पारित करें।

राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर 83/2 गैर मुमकिन जोहड़ में से 0.02 हैक्टयर पर पत्थर डालकर अवैध कब्जा किया गया है जो रिपोर्ट पटवारी हल्का व जांच भू अभिलेख निरीक्षक से साबित होता है, तथा राजकीय जोहड़ की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जा या अतिक्रमण नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम घोड़ीवाराकला के राजकीय भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 0.70 हैक्टयर गैर मुमकिन जोहड में से 0.05 भूमि पर दुकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस बात को अपीलान्ट स्वयं भी अपनी अपील में उक्त भूमि को जोहड़ की भूमि मान रहा है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी गलती प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.02.2012 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।